

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ०प्र०।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक: 04 जून, 2013

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क०नि०-7-79-11-2012-312(98)/2012 दिनांक-05.12.2012 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति- 2004 के अन्तर्गत कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क०नि०-5-305-11-2005-500 (136)-2003 दिनांक 19.01.2005 के क्रम में औद्योगिक इकाइयों को स्टैम्प शुल्क से छूट दिये जाने की प्रक्रिया औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1547, दिनांक 21.08.2009 द्वारा निर्धारित की गयी थी।

2- वर्तमान में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 निर्गत की गई है जिसमें स्टैम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-79/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05.12.2012 निर्गत की गयी है।

3- कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क० नि०-7-79-11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट तभी अनुमन्य होगी जबकि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन किया जा रहा है।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 में वर्णित किसी प्रयोजन हेतु यदि इकाई भूमि क्रय करती है अथवा पट्टे पर प्राप्त करती है तो विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन पर लागू स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु निम्न दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकती है:-

- (i)- अनुमन्य प्रयोजन हेतु इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर नियमानुसार देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान करके विलेख का निबंधन करा सकती है। यदि विलेख के निबंधन की तिथि से निर्धारित अवधि में औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो अथवा अन्य अनुमन्य प्रयोजन की दशा में इकाई द्वारा प्रयोजन की पूर्ति कर ली गयी हो तो भुगतान किये गये स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु सम्बंधित जनपद के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन देगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रयोजन की पूर्ति का भौतिक सत्यापन कर अपनी आख्या सहित वांछित धनराशि हेतु मांग पत्र निदेशक उद्योग को प्रेषित करेंगे। निदेशक उद्योग समेकित मांग औद्योगिक विकास विभाग को प्रेषित करेंगे। औद्योगिक विकास विभाग बजट के माध्यम से वांछित धनराशि निदेशक उद्योग को आवंटित करेंगे। निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित इकाईयों द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायगा।
- (ii)- इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर कर एवं निबंधन विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2012 के अन्तर्गत स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त करते हुए विलेख का निबंधन करा सकती है। इस हेतु स्टैम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-
- (क) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत देय छूट विषयक अधिसूचना दिनांक- 05.12.2012 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि इकाई द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्रय/लीज पर प्राप्त किया जाना है तो सम्बन्धित केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था प्रमाणीकरण संस्था होगी।
- (ख) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत देय छूट विषयक अधिसूचना दिनांक- 05.12.2012 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि इकाई द्वारा भूमि निजी स्रोत से प्राप्त की जा रही है तो उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 प्रमाणीकरण संस्था होगी।
- (ग) छूट प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक "क") पर प्रमाण पत्र सम्बंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।
- (घ) इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध (संलग्नक- "ख") किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा

अवस्थापना सुविधा से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा।

(च) इकाई विक्रय/पट्टा विलेख, प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा अनुबन्ध पत्र के साथ महानिरीक्षक निबन्धन उOप्रO के पक्ष में निर्धारित अवधि के लिये स्टैम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की Irrevocable बैंक गारंटी भी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेगी। तत्पश्चात् महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र विलेख पर साक्षी के रूप में इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेंगे कि अन्तरण उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है तथा विलेख व बैंक गारंटी 7 दिन के अन्दर सम्बन्धित उप निबन्धक, निबन्धन को विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन हेतु भेज देंगे।

(छ) औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने पर इकाई द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से महानिरीक्षक निबन्धन को बैंक गारण्टी वापस करने हेतु आवेदन पत्र दिया जायेगा। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इकाई का आवेदन पत्र एक प्रमाण पत्र (संलग्नक- "ग") के साथ महानिरीक्षक निबन्धन को प्रेषित किया जाएगा। महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा आवेदन पत्र तथा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर बैंक गारण्टी वापस करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(ज) निबन्धन के पश्चात् महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक निबन्धन उOप्रO को उपलब्ध करायेगी तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेगी ताकि छूट का दुरुपयोग न हो।

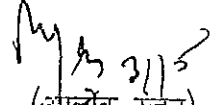
4- निर्धारित अवधि तथा भूमि के अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल के मापदण्ड निर्धारित करने सम्बन्धी शासनादेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।

5- एतद् विषयक औद्योगिक विकास विभाग के पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या 1547, दिनांक 21.08.2009 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्तानुसार।

भवदीय,

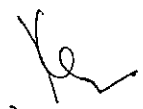

(अंशु रतन)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी, कानपुर।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
5. औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
9. औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।
10. कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन को उनके द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-79-11-2012 (98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के क्रम में प्रेषित।
11. महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु दिये गये
आवेदन-पत्र पर प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र

1- इकाई का नाम

2- इकाई का पता

.....

.....

3- इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन/ लिमिटेड कम्पनी/ को-आपरेटिव सोसायटी/
स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग)

4- पैन नम्बर

5- इकाई के स्वामी/प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों के नाम पता एवं सम्पर्क विवरण (निवास के प्रमाण सहित)

नाम

पता

दूरभाष संख्या

फैक्स संख्या

मोबाईल संख्या

ई-मेल

वेबसाइट

6- उद्यम पंजीकरण का विवरण - संख्या

दिनांक

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)

7- पंजीकृत उत्पाद एवं छमता

8- भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन

9- औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि

10- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था का नाम जहाँ से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्रय/लीज पर प्राप्त किया गया है

11- वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो/जा रहा हो।

12- वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

13- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि

14- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था/निजी स्रोत से भी भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्रय/लीज पर प्राप्त किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण
(साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

15- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण

क्र.सं.	भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में एवं दर	भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का कुल मूल्य
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा दिये गये संलग्न अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है।

इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रु0 की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :

DRAFT AGREEMENT

(On Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/=)

This agreement made on this _____ day of _____ in the year _____ at _____ between M/s _____, a firm/a company/a society incorporated and registered under the Company Act 1956 (1 of 1956)/Society Registration Act 1860/ Indian Partnership Act-1860 and having its registered office at _____ (hereinafter called "the Allottee" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns) through Shri _____ Owner/Directors, authorized by the Board of Directors of the company/society vide Resolution passed in this behalf on _____ of the One Part;

And the _____ a statutory body established under the _____ Act and having its head office at _____ (hereinafter called "the Certifying Agency" which expression shall include the Chairman/Managing Director or any authorised by the Board of Director) of the Other Part;

WHEREAS :

1. The Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the state government") has framed a scheme to remit stamp duty to the extent shown in column 3 of the schedule specified in the notification no. K.N.7-79/11-2012-312(98)/2012, dated December 05, 2012 for purpose specified in column 2, chargeable in respect of the instruments as shown in column 4 of the said schedule for the purpose provided in paragraph 5.1.1 and 5.1.2 of the Infrastructure and Industrial Investment Policy 2012, of the State as mentioned in column 2 of the said schedule to setup a new industrial unit or an unit making expansion or diversification thereof.
2. The certifying agency has been appointed by the State Government for operating this scheme.
3. The Allottee has applied for purchase or lease of land, shed or industrial tenement for the purpose specified as _____ (to established a new industrial unit or making expansion or diversification of an unit or for the development of infrastructure facilities in the state) as specified in their project report.
4. The total requirement of land, shed or industrial tenement for the purpose specified as _____ is _____ and has been allotted _____ acres

of land for which exemption of stamp duty of Rs. _____ required/
applied for.

5. That the Allottee has applied for the stamp duty exemption of Rs. _____, under the scheme vide his application dated _____ enclosing project report.
6. That the certifying agency, after considering the application and records provided by the Allottee and examining the requirement of land, shed or industrial tenement for the purpose specified, is ready to certify and execute the agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH :

1- In pursuance of the said Agreement, Certifying Agency, the Allottee, hereby covenants :-

- A. That the Allottee, in case of an industrial unit, will start commercial production, and in case unit is established for any other specified purpose mentioned in the industrial policy, fulfills the said purpose within 5 years from the date of execution of the instruments of sale/lease-deed by the sub-registrar of registration department.
- B. That the Allottee will provide an irrevocable Bank Guarantee in favour of Inspector General, Stamp & Registration, U.P. for an amount, equal to the amount of exemption from Stamp Duty.
- C. That the Allottee will comply with, and faithfully observed all the rules & regulations, relating to the abovesaid scheme, and also all subsequent amendments & additions, as may be inserted by the Order of the State Government.
- D. That the Allottee will allow the Officers of the Certifying Agency or concerned General Manager of District Industries Centre or by the State Government to inspect the progress of the unit.

2- It is further hereby agreed & declared by, and between the parties hereto that in any of following cases namely;

- a. Where the Allottee fails to furnish the prescribed statement and/or information which is called upon to furnish, or
- b. Where the Allottee has obtained the stamp duty exemption by misrepresentation or by furnishing of false information, or
- c. Where the industrial units does not commence commercial or fulfills the purpose for which exemption from stamp duty was granted, within 5 years from the date of Registration of instrument.
- d. If the Allottee misutilized the exemption from stamp duty, by violating purpose specified in the project-report.

The Inspector General, Stamp & Registration or State Government shall have the right to encash the bank-guarantee and deposit the amount in the suitable head of the Stamp & Registration department.

- 3- It is hereby further agreed & declared that the expenses incurred on execution of these presents shall be paid and borne by the Allottee.
- 4- All the disputes shall be subject to the Jurisdiction of Court's at _____.
- 5- The Allottee, hereby further declares, undertake and confirm that the above information is true to best of my knowledge and belief.

In Witness whereof the Allottee, Namely _____ has/have set his/their hand(s) to do this Agreement on the day, month and in the year above mentioned.

Allottee

Certifying Agency

For M/s -----

For -----

()

()

()

()

Witness

Common seal of M/s-----

1-

Affixed in my/ our presence

()

()

2-

AFFIXED IN MY/OUR PRESENCE

(Stamp & Signature, with Date of Oath Commr.)

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु रखी गयी बैंक गारण्टी को अवमुक्त करने हेतु महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1- इकाई का नाम

2- इकाई का पता

.....

.....

3- प्राप्त किये गये भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क़य/लीज का प्रयोजन

.....

4- औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की तिथि

5- जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित.....

6- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण.....

7- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण

क्र.सं.	भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का कुल क्षेत्रफल जो निहित उद्देश्य से आच्छादित है।
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक.....को प्रारंभ कर दिया गया है अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि को प्रयोजन की पूर्ति दिनांककी जा चुकी है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त इकाई के द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रु0 की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक : महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,

स्थान :

1. उप निबंधक, निबंधन.....
2. महा निरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।